आयुक्त कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग।

(राजस्व शाखा)

–:प्रमाण–पत्र:–

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–5/स0भू0 लातेहार–1/2010 1817/रा0 राँची दिनांक–30.04.2015 द्वारा झारखण्ड राज्यान्तर्गत विभिन्न सरकारी विभागो/कम्पनियों/प्रतिष्ठानो/उद्यमो/ऐजेन्सियों/निगमों/बोर्ड द्वारा एक परियोजना के अंतर्गत गैरमजरुआ Deemed Forest भूमि (जंगल–झाडी), जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अपयोजन से संबंधित मार्गदर्शिका निर्गत किया गया है।

एतद आलोक में गैरमजरुआ Deemed Forest भूमि (जंगल–झाडी), जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि जो जिला–चतरा, अंचल–टण्डवा के अंतर्गत निम्नांकित भूमि का नॉर्थ करणपुरा ट्रान्सको लिमिटेड के पक्ष में सैद्धान्तिक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है:–

क्र0	अंचल	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	कुल रकवा (हे0 में)	भूमि का किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8
1	टण्डवा	राहम	62	78	679	0.6776	गैरमजरुआ खास जंगल–झाड़ी
				176	739	0.0167	
		कामता	60	104	1090	0.5376	
					797	1.4779	
					934	1.5624	
					938	0.0310	
					939	0.0588	
					945	0.7210	
		मासीलौंग	61	1	274	0.2883	
					312 (P)	1.0450	
					45	0.1307	
					69	1.1146	
					71	0.0048	
					76	0.2971	
					80	0.1786	
		सराढु	29	278	448	0.0020	
					457	0.0001	
					460	0.1059	
					485 (P)	0.9766	
				65	455	0.0732	
		देवलगड़ा	28	27	120	0.0069	
		कुण्डी	27	37	1 (P)	1.4792	
					14	1.3085	
					कुल	12.0945 हे0	

कुल 12.0945 हे0 में सन्निहित है तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में परियोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत् हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तान्तरण की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। गैरमजरूआ जंगल झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तांतरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

22/05/2020 | 22.05.2020 | 22/5/20 | 9.7.2020

जिला कल्याण पदाधिकारी, चतरा	अपर समाहर्त्ता, चतरा।	उपायुक्त, चतरा।	आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग।

ज्ञापांक–579/रा0, दिनांक–10.07.020

प्रतिलिपि:–
1. नॉर्थ करणपुर, ट्रान्सको लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. उपायुक्त, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि संकल्प संख्या–5/स0भू0 लातेहार–1/2010 1817/रा0 राँची दिनांक–30.04.2015 में दिये गये निदेश के आलोक में Website के लिंक (Website के नाम सहित) एवं अद्यतन किये गये Upload संबंधी प्रतिवेदन से विभाग को अवगत कराते हुए इसकी प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाय।
4. सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.7.2020
आयुक्त,
उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग।

10/11/21
Chandra Shekhar Singh
Assistant Manager
North Karanpura Transco Limited
Ranchi